



डॉ भावना पाण्डेय

## वन टांगियाँ ग्रामः विकास की ओर बढ़ते कदम (समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

सहायक आचार्य- समाजशास्त्र विभाग, महाराणप्रताप महाविद्यालय, जंगलधूशाड़, गोरखपुर  
(उत्तराखण्ड) भारत

Received-21.01.2023, Revised-26.01.2023, Accepted-30.01.2023 E-mail: pandeyrvimal@gmail.com

**सारांशः** आदिवासियों और वनों के बीच एक सहजीवी संबंध है। जनजातीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति के साथ वनों का सम्बन्ध बहुत ही गहरा है। भोजन, ईधन, लकड़ी घरेलू सामग्री जड़ी-बूटी, औरशियाँ, पशुओं के लिए चारा और कृषि आंजारों की सामग्री के लिए वे वनों पर आश्रित रहते हैं। उनकी संस्कृति भी वनों से प्रभावित होती है। वे अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं। भारत में करीब 360 प्रमुख जनजातीयों निवास करती हैं। इनकी अनेक उपजातीयों हैं। ये करीब 100 जनजातीय बोलियाँ बोलती हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत में पाँच प्रमुख जनजातीयों हैं। जिनमें 93 लाख, भील 97 लाख, संथाल 47 लाख, उरांव 26 लाख तथा मीना 28 लाख। इसी प्रकार पाँच सबसे छोटी जनजातीयों इस प्रकार हैं—  
ग्रेट अंडमानीज 32, सेंटनेलीज 24, आंगे 101, जर्वा 89 तथा शोम्पेन 13।

**कुंजीभूत शब्द-** आदिवासियों, सहजीवी संबंध, जनजातीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भोजन, ईधन, घरेलू सामग्रीए जड़ी-बूटी।

भारत में जनजातीयों सघन क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि सामान्यतः पहाड़ी व जंगलों से घिरे विषम भू-भाग है। कुछ क्षेत्र समतल तथा उपजाऊ भी हैं। जनजातीयों की अर्थव्यवस्था कृषि तथा वनों पर आधारित है। कृषि तथा वनोपाज इनकी जीविका के प्रमुख साधन रहे हैं। इनकी कृषि भूमि के अवैध हस्तानान्तरण से तथा वनापज के एकत्र करने के अधिकारों पर प्रतिबन्धों से इनकी आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा इन कारणोंसे जनजातीयों और गैर जनजातीयों के बीच सामाजिक तनाव पैदा हुआ है। भारत के संविधान में जनजातीयोंकी सुरक्षा तथा इनके विकास के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं। इनसे सम्बन्धित प्रमुख प्रावधान संविधान के अनुच्छेद — 15(4), 16(4), 19 (5), 23, 29, 164, 275 (1), 330, 332, 334, 335, 338, 339, 342, पाँचवीं एवं छठी अनुसूचियों में निहित है। जनजातीयों विश्व के लगभग सभी भागों में पायी जाती हैं। भारत में जनजातीयों की आबादी अफीका के बाद सर्वाधिक है किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए निम्न मापदण्डों को स्वीकार किया गया है —

1. किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर पारंपरिक अधिकार।
2. विशिष्ट संस्कृति, जिसमें जनजातीय जीवन यापन का सम्पूर्ण चित्रण जैसे भाषा, प्रथा, परम्परा, धर्मिक विश्वास कला दस्तकारी आदि शामिल है।
3. व्यवसायिक ढाँचा अर्थव्यवस्था आदि को दर्शाने वाली आदिकालीन विशेषता तथा
4. शैक्षिक तथा तकनीकी आर्थिक विकास की कमी।

उत्तराखण्ड की प्रमुख जनजाति— भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारु हैं।

घुरिये का मत था कि समाजशास्त्र तथा उसके उद्विकास में संस्कृति के मूलतत्व प्रमुख हैं संस्कृति का सम्बन्ध मूल्यों की संस्कृति से जुड़ा होता है। यह व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति व उसके कृतित्व का विषय है। घुरिये को मनुष्य की क्षमता पर पूरा विश्वास था। उनका मानना था कि मनुष्य अपनी पुरानी संस्कृति की रक्षा करने में भी उतना ही सक्षम है, जितना कि वह अपनी लगनशीलता से नई संस्कृति को बनाने में है।

सन् 1955-1970 में भारत में ग्रामीण अध्ययनों की बाढ़ सी आ गयी। वास्तव में रेडफील्ड ने 1930 में मेविसको के एक गांव टोपोजालान का अध्ययन किया था। यह एक माडल बन गया और धड़ा-धड़ा भारत के गांवों के अध्ययन होने लगे। मैकिम मैरियट एवं एमोएनो श्रीनिवास ने कई ग्रामीण अध्ययनों को संकलित करके संपादित पुस्तकें निकाली। शायद ग्रामीण अध्ययनों की इस शृंखला में दुबे की पुस्तक इंडियन विपेज 1955 सबसे पहली थी। इस पुस्तक को दुबे जी की क्लासिकल पुस्तक कहा जाता है।

यही कारण है कि भारत में समाजशास्त्र के अन्तर्गत गांवों के अध्ययनका विशेष महत्व है। इसी दृष्टि के प्रारूप के तहत शोधार्थिनी ने वनटांगियाँ ग्राम का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

### शोध प्रारूप—

#### अध्ययन का उद्देश्य—

1. अध्ययन में शामिल गांवों के लोगों की सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना।
2. गाँव वालों के राजनीतिक उन्मुखता का पता लगाना।
3. गाँव के लोगों को उनके अधिकारों एवं उत्तरदायित्व के प्रति संज्ञानता का पता लगाना।



4. सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी का पता लगाना।
5. राजनीतिक सहभागिता का पता लगाना तथा दी गयी सुविधाओं से उनके जीवन में आये परिवर्तनों का विश्लेषण करना।

#### **अध्ययन समग्र- प्रस्तुत शोधपत्र के अन्तर्गत गोरखपुर जनपद के चार गांव-**

1 वनटांगिया जंगल तिकोनिया नं० 3, 2. चिलबिलवां 3. रजही 4. तिनकोनिया नं० 2 का चयन किया गया है।

**अध्ययन का क्षेत्र** – गोरखपुर उ०प्र० राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल के साथ सीमा के पास स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। यह गोरखपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय तथा पूर्वोत्तर रेलवे (एन०इ०आर०) का मुख्यालय है। जनपद गोरखपुर की सीमायें पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर, परिचम में संत कबीरनगर, उत्तर में महराजगंज एवं सिद्धार्थनगर तथा दक्षिण में मऊ, आजमगढ़ तथा अम्बेडकर नगर से लगती है। यह उ०प्र० के सबसे बड़े और सबसे पुराने जिलों में से एक है। इस जिले का मुख्यालय गोरखपुर नगर है। गोरखपुर रेलवे जंक्शन का प्लेटफार्म संख्या 01 विश्व का सबसे लम्बा (1366.33मी०) प्लेटफार्म है।

गोरखपुर जिले में कुसुम्ही जंगल का एक बड़ा क्षेत्र है है जो अत्यन्त घना है। वनटांगियों इन्हीं जंगलों में निवास करते हैं। टांगियां शब्द का अर्थ होता है जंगल की खेती। यह टांग और या से बना है। टांग का अर्थ खेती और या का अर्थ जंगल। भारत में अभी वनटांगियां ग्राम के बारे में कोई व्यक्ति ऐतिहासिक साहित्य नहीं लिखा गया है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां के बड़े बुजुर्गों के द्वारा दिये गये मौखिक इतिहास के माध्यम से प्राप्त की गयी है। साथ ही अलग-अलग समय पर प्रकाशित पुस्तिकाओं, सरकारी दस्तावेजों, पर्चों, विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की गयी।

**निर्दर्श-** अध्ययन समग्र में से 4 गांवों का निर्वचन जनानंकीय संरचना के आधार पर किया गया। ये चार गांव 1. तिनकोनिया नं० 2 2. तिनकोनिया नं० 3, चिलबिलवां, 4 रजही। इस अधार पर गांवों का निर्वचन किया तथा परिवारों की संख्या के आधार पर प्रत्येक गांव को 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन आनुपातिक दैवनिर्दर्श प्रणाली के द्वारा किया गया।

इसके अन्तर्गत उपलब्ध भारतीय जनगणना, गोरखपुर सेंसस हैंड बुक जिला गोरखपुर से सम्बद्ध पत्रिका तथा पूर्ववर्ती शोध प्रतिवेदना का सहारा लिया गया है। उपलब्ध तथ्य के अध्ययन तथा क्षेत्रीय अध्ययन का सहारा लिया गया है।

**शोध की सीमायें-** अध्ययन हेतु चयनित विषय-वस्तु से सम्बन्धित अभी कोई साहित्य नहीं उपलब्ध है। इस पर अधिक कार्य न होने के कारण पड़ा। शोधार्थी के रूप में अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इनमें से उन्हीं पक्षों को जानने का प्रयास किया है जो प्रमुख रूप से उनके विकास में योगदान किये हैं। समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शोधार्थीनी ने एक बड़ी संख्या के समूह से निर्दर्श रूप में चयनित लोगों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है।

**वनटांगियों ग्राम- ऐतिहासिक सन्दर्भ-** टांगियां शब्द का अर्थ होता है जंगल की खेती। यह टांग और या से बना है। टांग का अर्थ है खेती और या का अर्थ है जंगल। भारत में वनटांगियों का ऐतिहास सुसंगत दंग से कभी नहीं लिखा गया। विभिन्न समयों में प्रकाशित विभिन्न प्रकाशित पत्रिकाओं, सरकारी दस्तावेजों, पर्चों, विशेषज्ञों और समुदाय के बुजुर्गों से मिली जानकारी के अनुसार उ०प्र० और उत्तराखण्ड में यह समुदाय टांगिया पद्धति से जंगलों को लगाये जाने की शुरुआत के साथ अस्तित्व में आया। वर्ष 1920 से 1923 के बीच इस समुदाय की पहली पीढ़ी को जंगल लगाने के काम पर लगाया गया था। वास्तव में भारत में 1853 से रेल पटरियों को बिछाने का काम शुरू हो गया था। रेल पटरियों के बीच में लगाने वाले लकड़ी के स्लीपरों की मांग बढ़ रही थी। एक किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए साखू के करीब 60 पेड़ काटने पड़ते थे। इसके साथ ही रेल इंजनों में भी बड़ी मात्रा में जलावन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटान होने लगी। अंग्रेज सरकार को 1860 से 1890 के बीच जंगलों के विकास की नीति लानी पड़ी। अंग्रेज अफसरों ने साखू के पेड़ उगाने की विधि का अध्ययन शुरू किया। इसी दौरान बहराइच और देश के अन्य भागों से कुछ अंग्रेज अफसर साखू पौधरोपड़ सीखने स्थानां गये। वहां के आदिवासी समुदायों ने उन्हें प्रशिक्षित किया जिस विधि से साखू और सागौन के पौधे लगाये जाते थे उसे टांगिया विधि कहा जाता था।

स्थानां लेने के बाद अंग्रेज अफसरों को बड़ी संख्या में ऐसे मजदूरों की आवश्यकता पड़ी जो टांगिया विधि के अनुरूप साखू और सागौन के पौधे लगा सके और वृक्ष बनने तक उनकी देख-रेख करते रहें। अंग्रेज ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुनादी कर मजदूरों को जंगल लगाने के नाम पर बुलाया। आरम्भ में मजदूरों को लगा कि आजिविका की दृष्टि से यह एक बेहतर स्थिति होगी लेकिन असल में वे सब ब्रिटिश सरकार के बंधुआ मजदूर बन गये। बुजुर्ग वनटांगिया और सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि वनटांगियां को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। नई जगह पर उन्हें बसाने के साथ ही 30.30 हैक्टेयर क्षेत्रफल (बीट कहा जाता था) दिया था। वनटांगियों का जिम्मा था कि वे इस क्षेत्र को साफ करें। हर वनटांगियां के 0.2 हैक्टेयर यॉनि करीब आधा एकड़ जमीन दी जाती थी। पौधरोपड़ से बची खाली जमीन पर वनटांगियों



को धान, गेहूँ, मक्का, चना, जैसी चीजे उगाने की छूट थी लेकिन धनी खेती करने की अनुमति नहीं थी। वर्षा ऋतु में वनटांगियां पेड़ पर चढ़त्रकर ताजे फूल तोड़ कर उनसे बीज निकालते थे और फिर क्यारी बनाकर टांगिया विधि के अनुसार उहँे रोपते थे। वनटांगियां मजदूरों को एक स्थान पर सात वर्ष तक पौधों की देख-रेख करनी पड़ती थी। इस दौरान वे झोपड़ी बनाकर परिवार संग वहां रहते थे। अपने पीने के पानी के लिए वे स्वंय ही वहां कुएं खोदते और बिना किसी मजदूरी के अंग्रेजों के लिए जंगल उगाने और बचाने में लगे रहते थे। पेट भरने के लिए उन्हें बस जंगल के बीच खाली जगह पर अनाज उगाने की छूट थी। वास्तविकता यह थी कि अंग्रेजों ने 1920 से 1923 के बीच इस समुदाय की पहली पीढ़ी को जंगल लगाने के नाम पर गुलामी के अंधकार में ढकेल दिया।

15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी वनटांगियों का दुर्भाग्य समाप्त नहीं हुआ। आजाद भारत में भी एक तरह से बंधुआ मजदूर ही बने रह। वे पानी बिजली स्कूल सड़क राशन यहां तक की मताधिकार तक से वंचित थे। फिर 1982 से 1984 के बीच उन्हें जंगल से बेदखल करने की कोशिशें शुरू हो गयी। वन विभाग ने वनटांगियों से ऐसे इकरारनामें पर हस्ताक्षर कराना शुरू कर दिया जिसके तहत एक जगह पर काम खत्म होने के बाद वहां की वन भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाता था। वनटांगियों ने इसे स्वीकार नहीं किया विरोध शुरू हो गया तो वन विभाग ने वनटांगियों की आबादी को वनभूमि पर अतिक्रमण बताकर उन्हें जंगल से बलपूर्वक बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। इसके चलते कई स्थानों पर टकराव की स्थिति पैदा हो गयी। 6 जुलाई 1985 को गोरखपुर के तिनकोनिया गांव में ऐसी ही एक घटना के दौरान फायरिंग में पॉचू और परदेशी नाम के दो वनटांगियां मजदूर मारे गये और कई घायल हो गये। कई जगहों से वनटांगियों को उजाड़ दिया गया बहुत से वनटांगियों को गिरतार कर लिया गया। वन विभाग की अत्याचारों के चलते वनटांगियों के बीच संगठन की सोच बलवती हुई। 1992 में उन्होंने वनटांगिया विकास समिति संस्था का गठन कर लिया। वनटांगियों ने 1997 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्हें वहां से स्थगनादेश प्राप्त हो गया। इस स्थगनादेश के आधार पर अपनी जगह पर रहते हुए वनटांगियों ने अधिकारों की लड़ाई जारी रखी। 1998 में पहली बार गोरखपुर के सांसद बने (वर्तमान मुख्यमंत्री) श्री योगी आदित्यनाथ जी को वनटांगियों की स्थिति का पता चला तो उन्होंने उनका साथ देने का निर्णय लिया। इसके बाद वनटांगियों के हक में सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद होने लगी। आंदोलनों के दबाव में पहली बार वनवासियों की तकलीफों पर दिल्ली का भी ध्यान गया।

वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून पारित किया गया जो 31 दिसम्बर 2007 तक वन या वनभूमि पर रहने वालों को कृषि और आवास के लिए वनभूमि के अधिमोग का अधिकार दिया गया। इस कानून के अनुसार 31 दिसम्बर 2005 से पहले तीन पीढ़ीयों तक वन या वनभूमि पर रहने वालों को कृषि और आवास के लिए वनभूमि के अधिमोग का अधिकार दिया गया। तत्कालीन सांसद (वर्तमान मुख्यमंत्री) श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर कदम वनटांगियों का साथ दिया। अन्ततः प्रशासन को मानना पड़ा कि वनटांगिया मजदूर तीन पीढ़ीयों से जंगल में रह रहे हैं और वन अधिकार कानून का लाभ पाने के हकदार है। वनटांगियों की कृषि और आवासीय पट्टा मिला तो उन्होंने राजस्वग्राम का दर्जा और अपने ग्रामों को पंचायत प्रणाली से जोड़कर बुनियादी सुविधाओं को देने की माँग करनी शुरू की इसी दौरान श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरक्षपीठ की ओर से तिनकोनिया गांव में टिन शेड में बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना करायी तो वन विभाग ने मुकदमा तक करा दिया। 2007 में हिन्दू विद्यापीठ नाम से महराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ किया गया। 2016 के पंचायत चुनाव में पहली बार गोरखपुर और महराजगंज के 23 वनटांगिया गांवों के करीब 23 हजार लोगों को पास के राजस्व ग्राम से जुड़कर पंचायत चुनाव में वोट डालने का मौका मिला। वनटांगिया ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ तो गये लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं आया। कारण यह था कि ये ग्राम राजस्वग्राम नहीं थे। वन विभाग के प्रतिबन्ध जैसे किसी प्रकार के स्थाई निर्माण पर रोक, सीमेन्ट ईंट से निर्माण पर रोक, आदि अब भी जारी थे। ऐसी तमाम प्रतिकूलताओं के बीच वनटांगियां समुदाय धैर्य और विश्वासपूर्वक अपना समय आने का इंतजार करता रहा।

2017 में उ0प्र० की सरकार बदलने के साथ ही वनटांगिया समुदाय का समय आ गया। श्री योगी आदित्यनाथ जी उ0प्र० के मुख्यमंत्री बने और प्रदेश की कमान सम्मालने के कुछ ही समय बाद नवम्बर 2017 में उन्होंने गोरखपुर और महराजगंज के 23 वनटांगिया गांवों को राजस्वग्राम घोषित कर दिया। अब तक प्रदेश के सात जिलों के कुल 38 गांव राजस्वग्राम बना दिये गये हैं। इनमें गोरखपुर, गोंडा, और बलरामपुर के पांच-पांच गांव, महराजगंज के 18, सहारनपुर के तीन, लखीमपुर खीरी और बहराइच के एक-एक गांव शामिल हैं। राजस्वग्राम बनते ही वनटांगियां ग्रामों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास, बिजली, पानी, सड़क स्कूल, राशन पेशन आदि तमाम सरकारी योजनायों का लाभ मिलने लगा। सरकार ने विकास के रास्ते खोले तो पिछले पाँच साल के अन्दर वनटांगियां गांव पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्ति पाकर प्रगति के नये सोपानों तक पहँच गये हैं।



**प्राप्त तथ्यों का सारांश-** प्राप्त तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि आज वहां पकके मकान हैं, सड़कें, स्कूल और हर वह दुनियादी सुविधा है जो किसी अन्य विकसित गांव में हो सकती है।

लोक चलन में तपस्यी—साधू के गणवेश में, किसी के मौन धारण कर मौनी बाबा बनने, किसी के फलाहार पर रहने या दुनिया से अलग—थलग किन्हीं गुफाओं या कंदराओं में रहने को तपस्या साधना से जोड़कर देखा जाता है। हठयोग की चित्र—विचित्र मुद्राओं व आसनों को भी इससे जोड़कर देखा जाता है परन्तु साधना किसी गुफा में मौन धारण करने, भूखे—प्यासे रहने व दुनिया से अलग—थलग होकर किन्हीं हठयोग की क्रियाओं या धीर्घकाण्डों का पर्याय नहीं है बल्कि यह तो जीवन के हर पक्ष को जानने, समझने इसको समग्रता से जीने व साधने का नाम है।

यह चेतना के परिष्कार एवं व्यवित्तत्व के रूपान्तरण के साथ जीवन उर्जा को उर्ध्वगामी गति देने का नाम है जिसकी प्रतिमूर्ति हमारे योगी जी महराज हैं।

वनटांगियां ग्राम के विकास के सूर्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महराज (मुख्यमंत्री उ0प्र0) ने इस समुदाय के जीवन में एक नयी संकान्ति लायी जिससे उनका सम्पूर्ण जीवन बदल गया। सूर्य के यथास्थान (आदित्यनाथ जी महराज) उ0प्र0 के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही वनटांगियां समाज के जीवन से अन्धकार को हार मानना पड़ा और विकास के ज्योतिपुंज ने एक नया अध्याय शुरू किया।

वनटांगियां ग्राम के अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर हमने पाया कि सामाजिक विकास के पहलू के ध्यानगत वहां पर लोगों को एक व्यवस्थित पद प्राप्त है। वहां पर लगभग सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें—

1. सभी गांव का विद्युतिकरण किया गया है जसमें 120 सोलर लाइट लगवाये गये हैं।
2. पंचायती राज विभाग की तरफ से 125 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गयी।
3. 818 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला।
4. 164 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से लाभन्ति हुए।
5. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 950 शौचलयों का निर्माण किया गया।
6. राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के तहत 53 समूहों का गठन किया गया।
7. जल निगम ने 18 हैंडपम्प लगवाये, 17 टैंक पाइप स्टैंड पोस्ट बनवाये गये।

क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान रामगणेश मुखिया (जंगल तिनकोनिया) बताते हैं कि हम लोग आजादी के बाद भी गुलामी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि जिस समुदाय को अपनी सरकार चुनने का अधिकार अर्थात् वोट का अधिकार नहीं तो उसकी स्वतन्त्रता का क्या मतलब ?

वे बताते हैं कि आज हमारे गांव में सरकार की प्रमुख प्राथमिकता खड़न्जा, इंटरलाकिंग, सोलर लाइट, बिजली, खाद्य रसद, 434 अन्त्योदय राशन कार्ड जैसी अवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित होने से हमारे जीवन में एक कान्तिकारी परिवर्तन आया है। आज हमें भी एहसास होता है कि हम भी एक सुखी सम्पन्न देश के सुखी नागरिक हैं और वो बार—बार योगी जी का धन्यवाद करते हैं।

रिया नाम की लड़की जो 12वीं की छात्रा है वह अपनी दुकान चलाती है जब क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान मैंने उसका साक्षात्कार लिया तो बड़े आत्मविश्वास के साथ उस बच्ची ने बताया कि मुझे बड़ा होकर व्यवसायी बनना है।

इसी क्रम में अपने क्षेत्रीय अध्ययन में मैंने पाया कि वहां पर शिक्षा का स्तर व्यवसाय का स्तर, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगभग सभी पहलू से विकास की ओर बढ़ रहे हैं।

पारिवारिक स्तर की बात करें तो संरचनात्मक रूप से वहां परिवार का स्वरूप संयुक्त पाया गया।

जातिगत आधार पर अध्ययन में वहां प्रभुजाति के रूप में सहानी जाति है तथा अन्य जातियों में पासी, हरिजन, चौहान आदि जातियां हैं।

शैक्षिक आधार पर क्षेत्रीय अध्ययन में मैंने पाया कि वहां के बच्चे कान्वेन्ट स्कूलों में जा रहे हैं तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा में भी वहां के बच्चे अपनी भागीदारी बनाये हैं। पृथ्वी नाम के एक छात्र से मैंने साक्षात्कार किया जो कि महराणाप्रताप महाविद्यालय, जंगल धूषड़, गोरखपुर में राजनीति शास्त्र विषय में परस्नात्क के विद्यार्थी हैं उन्होंने बताया कि अब हमारा समुदाय पहले से बहुत परिवर्तित हो चुका है।

धार्मिक स्तर पर अध्ययन क्षेत्र में मन्दिर भी देखने को मिला। अर्थात् वहां के लोगों में धार्मिक आचार—विचार भी देखे गये। टतः हमने अपने अध्ययन क्षेत्र में पाया कि वनटांगियाँ ग्राम विकास के पथ पर अग्रसर हैं, और यहां का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक स्तर विकासशील मार्ग पर है। यह सब कुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है।



## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. वर्मा, रुप चन्द्र— भारतीय जनजातियों निदेशकः प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पाटियाला हाउस, नई दिल्ली—110001.
2. एन०सी०इ०आर०टी० समाज का बोध 11वीं पाठ्यक्रम पुस्तक प्रकाष्णन विभाग में, नई दिल्ली—110016 द्वारा प्रकाशित।
3. देसाई, ए०आर० भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली, अंसारी रोड दरियागंज।
4. अखण्ड ज्योति, हरिद्वार।
5. क्षेत्रीय अध्ययन में साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त तथ्यों (वनटांगियां ग्राम में) का समावेष, 10 जनवरी 2023।

\*\*\*\*\*